

ऑपरेशन धरपकड़ में 11 वारंटी गिरफ्तार कार्टवाई

श्रावस्ती। बारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से ऑपरेशन धरपकड़ चलाया जा रहा है। जिसके तहत पुलिस ने 11 वारंटियों को गिरफ्तार किया। शनिवार को कोतवाली भिनगा, थाना गिलौला, थाना शिराट, थाना सिरसिया, थाना सोनवा व थाना मल्हीपुर पुलिस की ओर से अधियान चलाया गया। जिसमें पुलिस ने 11 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कच्ची शराब के साथ दो गिरफ्तार : श्रावस्ती। अचैथ गिरफ्तार : श्रावस्ती। अचैथ गिरफ्तार की गिरफ्तारी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाली भिनगा की पुलिस टीम शुक्रवार शाम को क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने पिटू पुत्र रामसमूझ निवासी भौसावा थाना गिलौला को पांच लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसी तहत थाना मल्हीपुर पुलिस ने राजेश उर्फ आलू पुत्र काली प्रसाद निवासी भरथाबलभरिया कोतवाली भिनगा को नौ लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया।

अधियान में पुलिस ने कच्ची शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाली भिनगा की पुलिस टीम शुक्रवार शाम को क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने पिटू पुत्र रामसमूझ निवासी भौसावा थाना गिलौला को पांच लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसी तहत थाना मल्हीपुर पुलिस ने राजेश उर्फ आलू पुत्र काली प्रसाद निवासी भरथाबलभरिया कोतवाली भिनगा को नौ लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया।

हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

जासं ० श्रावस्ती : लाठी-डंडा व भालू से हमला के हत्या करने के तीन दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने अधीनन कारावास को सजा सुनाया है। 20-20 हजार रुपये का अर्थादेह भी लगाया गया है। अर्थादेह अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास घुग्नान होगा।

न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषिदं ठहराते हुए सजा सुनाया है। जहर देकर माने के दोषियों को कै : जिला शासकीय अधिकारी फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि मल्हीपुर क्षेत्र के पहिलायुक्त कोट मुख्यालय गांव निवासी ननकू थाना क्षेत्र के ही मजरूर गांव में 28 अगस्त 2013 को जन्माटमी देखने के गए थे। इसी दौरान पुरुषों ने लेकर पहिलायुक्त कोट मुख्यालय गांव के ही सज्जन कुमार पाठक, लैटिंग उर्फ राम हरखर, व गजेश ने आपने सहियों के साथ लाठी-डंडा व भालू से हमलाकर ननकू की हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के भाई पुलू उर्फ हेमंत कुमार की हत्या पर पिलौला थाने में हत्या समेत विभिन्न घाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचन के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विवारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र मुशी की मीठ हो गई थी।

- 20-20 हजार रुपये लगाया गया अर्थादेह

- अर्थादेह अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास

न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषिदं ठहराते हुए सजा सुनाया है।

जहर देकर माने के दोषियों को कै : जिला शासकीय अधिकारी फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि मल्हीपुर क्षेत्र के लक्ष्मपुर कोटी निवासी बच्चाउद्या को मुकदमे में सुनवा नह करने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2012 को गांव निवासी श्यामलाल, भुसैली व मुशी ने जहर देकर मर डाल था।

पुलिस ने आरोप पत्र कोटे पर प्रस्तुत किया। विवारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने वे आरोपियों को दोष सिद्ध ठहराते हुए पांच वर्ष के सम्रम कारावास की सजा सुनाया है। तीन-तीन हजार रुपये अर्थादेह से भी टीका किया रहा है। अर्थादेह अदा न करने पर दोषियों को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा किस के दौरान आरोपित मुशी की मीठ हो गई थी।